

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

- ▶ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का अध्ययन करते समय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का Base Act की सहायता ले।
- ▶ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आगामी न्यायिक सेवा परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
- ▶ यह नोट्स प्रारम्भिक परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं जो आपके लिए न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारियों में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
- ▶ इन नोट्स को बनाने में अत्यंत सावधानी रखी गयी है किंतु यदि इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के Base Act को उचित माना जाएगा।
- ▶ यह नोट्स आपको प्रारम्भिक परीक्षा में उचित अंक दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे।
- ▶ हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं।

TARGET FOR IO.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

- ▶ कुल धारा :- 531
- ▶ कुल अध्याय :- 39
- ▶ कुल अनुसूची :- 2
 - ▶ प्रथम अनुसूची :- अपराधों का वर्गीकरण
 - ▶ द्वितीय अनुसूची :- धारा 522 देखिये
- ▶ अधिनियम संख्या :- 46th of 2023
- ▶ राष्ट्रपति की सहमति :- 25 Dec 2023
 - ▶ लोकसभा में प्रस्तुत :- 20 Dec 2023
 - ▶ राज्यसभा में प्रस्तुत :- 21 Dec 2023
- ▶ लागू :- 1 July 2024

Note :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, 603 प्रक्रिया संहिता (1973) को निरसित करेगा।

TARGET FOR IO

- ▶ उद्देश्य :- 603 प्रक्रिया संबंधी विधि का
 - ▶ समेकन
 - ▶ संशोधन करना

अध्याय: 1 प्रारम्भिक

- ▶ धारा 1 :- संक्षिप्त नाम :- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023
विस्तार :- सम्पूर्ण भारत पर

▶ परंतु इस संहिता के अध्याय 9, 11, 12 से सम्बंधित उपबंधों से भिन्न

उपबंध

- ▶ नागालैण्ड राज्य
- ▶ जनजाति क्षेत्रों की

TARGET FOR IO

↓
लागू नहीं होंगे

↓
किंतु, राज्य सरकार आदेश सूचना द्वारा इन क्षेत्रों पर लागू करना चाहे तो कर सकती है।

- स्पष्टीकरण :- जनजाति क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो 1972 की जनवरी के 21वें

दिन के ठीक पहले, संविधान की दृष्टि अनुसूची के पैरा 20 में जो असम के जनजाति क्षेत्रों में सम्मिलित थे और शिलांग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों से भिन्न हैं।

- प्रवृत्तन :- जिसे भारत सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।


➤ धारा 2: परिभाषाएँ

TARGET FOR IO

Note: 5 नयी परिभाषाओं को जोड़ा गया है तथा 4 परिभाषाओं को निरसित कर दिया गया है।

2(A): " शब्द-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन :- के अंतर्गत शामिल हैं।


↳ (New Add)



TARGET FOR IO

2(B): जमानत :- किसी भी व्यक्ति को बाँडना (New Add)

↳ किसी अपराध के आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति को



बाँड या जमानत के बाँड के निष्पादन पर लगायी गयी कुछ शर्तों पर कानून की धारणा से रिहा करना

2(c):- 'जमानतीय अपराध':- ऐसा अपराध

↳ CRPC 1973: 2(A)

प्रथम अनुसूची में
जमानतीय के रूप में
दिया गया है।

अन्य विधि
में जमानतीय
बनाया गया है।

अजमानतीय
अपराध से
जो अभिन्न है।

2(D): जमानत बॉन्ड:- जमानत के स्थाप + रिहाई का वचन देना

↳ (New Add)

2(E):- बॉन्ड:- शामिल है

↳ (New Add)

रक धारिता
बॉन्ड

बिना जमानत के
रिहाई का वचन

2(F):- 'आरोप':- के अंतर्गत

↳ CRPC: 2(B)

आरोप में
रक से अधिक
शीर्ष हो

आरोप का
कोई भी
शीर्ष हो

TARGET FOR IO

2(G):- सज्ञेय अपराध:- ऐसा अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी

↳ CRPC: 2(C)

प्रथम अनुसूची
के

किसी अन्य विधि
के अनुसार

TARGET FOR IO

वारंट के बिना गिरफ्तार
कर सकता है।

2(H) परिवाद:- माजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से किया

↳ CRPC: 2(D)

गया अभिक्रमण

मौखिक

लिखित

→ किसी धारती ने ज्ञात व
अज्ञात ने अपराध किया हो